	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 11/2022 राजूराम बनाम श्रीमती रूखमोंदेवी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 19.01.2023

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री भजनलाल गोदारा
2. विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता मेघाराम चौधरी

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 22.02.2016 को न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2017 को उक्त अपील को पुनः बरामद करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सी पी सी का प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को उनके अधिवक्ता द्वारा बता दिया गया कि उक्त आवेदन पत्र के नोटिस विप्रार्थीगण को तलबी हेतु भिजवाये जायेंगे जब उनकी तलबी हो जावेगी तब प्रार्थी को सूचित कर देंगे जिस पर प्रार्थी द्वारा विश्वास कर लिया गया। इसके बाद सिविल न्यायालय गुड़ामालानी में स्थापित होने से अपीलांटस के अधिवक्ता गुड़ामालानी में पैरवी करने लगे जिससे समय पर अपीलांट की पत्रावली को पैरवी नहीं कर पाये परन्तु अधिवक्ता ने कभी भी अपीलांट को इस बाबत अवगत नहीं किया तत्पश्चात वर्ष 2020 में पुरे भारत में विश्व व्यापी महामारी कॉविड 19 के आगमन से सारे न्यायालय में व्यक्तिगत हाजरी बंद कर दी गई तथा दो वर्ष तक रह रह कर कॉविड का असर होता रहा तथा कॉविडव अधिवक्ता के गुड़ामालानी जाने से पूर्व में पेश नोटिस बाद तामील वापस नहीं आने व पुनः नोटिस जारी करने के आदेश से अवगत नहीं हो पाया लिहाजा दिनांक 24.11.2021 को नोटिस नहीं पेश करने के कारण अपीलांटस की उक्त पुनः बरामदगी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त अपील पुनः बरामदगी का आवेदन खारिज होने की जानकारी नहीं होने व कॉरोना काल में म्याद की छुट होने से म्याद में लिया जाना न्यायोचित है साथ ही उक्त आवेदन खारिज हुआ जिसके बाद 09.02.2022 तक फिजीकल सुनवाई की रोक होने से उक्त अवधि को म्याद मे शामिल नहीं करने से हस्तगत आवेदन अन्दर मियाद पेश है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपील की अंतिम सुनवाई के समय न तो अदालत हाजा में वकील अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थित थे, न ही उनका मुंशी हाजिर था और न ही स्वयं अपीलांट ही उपस्थित था। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। प्रार्थी/अपीलांटस को नोटिस पेश करने का समुचित अवसर दिया गया उसके बावजूद भी नोटिस पेश नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने के पश्चात अपीलांटगण स्वयं ने राजस्व रिकॉर्ड में कई परिवर्तन अपनी सहमति से किये गये जिसके दस्तावेजात पत्रावली पर पेश किये गये। अपीलाटस स्वयं पैरवी में उदासिनता कर रहे है जिन्हे कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। अपीलांटस का आवेदन दिनांक 24.11.2021 को अदम हाजरी, अदम पैरवी, अदम पालना में खारिज किया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की जा सकती है न की माननीय न्यायालय में पुनः बरामद हेतु आवेदन। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया जिसका कोई सदभाविक कारण नहीं दर्शाया गया। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। हस्तगत आवदेन अपील को पुनः बरामद करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉविड काल में पारित आदेश परिसीमा को कंडोन करने के अनुसार अन्दर मियाद पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र को पुनः पुराने नंबर 137/2017 पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इज लाश दिनांक 19.01.2023 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर